राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–ग्रुप–2) विभाग

सं.एफ. 7(3) डीओपी/ए– II/2005 जयपुर,दिनांकः 27.07.2018

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान सिविल सेवा (जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों में प्राचार्य, उप–प्राचार्य, वरिष्ठ प्राध्यापक और प्राध्यापक का विशेष चयन और सेवा की विशेष शर्तें) नियम, 2005 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ .–** (1) इन नियमों का नाम राजस्थान सिविल सेवा (जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों में प्राचार्य, उप–प्राचार्य, वरिष्ठ प्राध्यापक और प्राध्यापक का विशेष चयन और सेवा की विशेष शर्तें) (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. **नियम 7 का हटाया जाना.–** राजस्थान सिविल सेवा (जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों में प्राचार्य, उप–प्राचार्य, वरिष्ठ प्राध्यापक और प्राध्यापक का विशेष चयन और सेवा की विशेष शर्तें) नियम, 2005 जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, का विद्यमान नियम 7 हटाया जायेगा।

3. **नियम 10 का प्रतिस्थापन.–** उक्त नियमों के विद्यमान नियम 10 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्ः–

"10. **चयन समिति.–** (1) प्राचार्य के पद पर चयन, निम्नलिखित से बनी समिति की सिफारिश पर किया जायेगाः–

1. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर	संयोजक
2. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान (रा.शै.अ.प्र.सं.), उदयपुर	सदस्य
3. शासन सचिव, विद्यालय शिक्षा, राजस्थान, द्वारा नामनिर्देशित राज्य सरकार का कोई नामनिर्देशिती,	सदस्य
4. उप–निदेशक (संस्थापन), निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान	सदस्य–सचिव

(2) उप–प्राचार्य, वरिष्ठ प्राध्यापक और प्राध्यापक के पद पर चयन, निम्नलिखित से बनी समिति की सिफारिश पर किया जायेगाः–

1. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान , बीकानेर	संयोजक
2. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर या उसका नामनिर्देशिती जो उप–निदेशक, शिक्षा की रैंक से नीचे का न हो।	सदस्य
3. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर द्वारा नामनिर्देशित किसी भी रेंज का उप–निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा।	सदस्य
4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर का नामनिर्देशिती	सदस्य
5. उप–निदेशक (संस्थापन), प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान	सदस्य–सचिव

4. अनुसूची का संशोधन.– उक्त नियमों से संलग्न अनूसूची में,–

(i) क्रम संख्यांक 1 के सामने,–

(क) स्तंभ 2 में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

"प्राचार्य–जि.शि.प्र.सं. (वेतन मेट्रिक्स में लेवल L–17)"; और

(ख) स्तंभ 4 में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

"मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के मार्गदर्शक सिद्धान्तों और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता मानदण्ड तथा क्रियाविधि) विनियम, 2014, समय–समय पर यथा संशोधित, के अनुसार";

(ii) क्रम संख्यांक 2 में,–

(क) स्तंभ 2 में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

"उप–प्राचार्य– जि.शि.प्र.सं. (वेतन मेट्रिक्स में लेवल L–16)"; और

(ख) स्तंभ 4 में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

"मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के मार्गदर्शक सिद्धान्तों और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता मानदण्ड तथा क्रियाविधि) विनियम, 2014, समय–समय पर यथा संशोधित, के अनुसार";

(iii) क्रम संख्यांक 3 में,–

(क) स्तंभ 2 में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

"वरिष्ठ प्राध्यापक– जि.शि.प्र.सं. (वेतन मेट्रिक्स में लेवल L–16)";

(ख) स्तंभ 4 में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

"मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के मार्गदर्शक सिद्धान्तों और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता मानदण्ड तथा कियाविधि) विनियम, 2014, समय–समय पर यथा संशोधित, के अनुसार";

(ग) स्तंभ–5 में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

"–"; और

(iv) क्रम संख्यांक 4 में,–

(क) स्तंभ 2 में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

"प्राध्यापक– जि.शि.प्र.सं. (वेतन मेट्रिक्स में लेवल L–12)";

(ख) स्तंभ 4 में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

"मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के मार्गदर्शक सिद्धान्तों और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता मानदण्ड तथा कियाविधि) विनियम, 2014, समय–समय पर यथा संशोधित, के अनुसार";

(ग) स्तंभ 5 में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

"–"।

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

(सुनील शर्मा) 27/7/2018

संयुक्त शासन सचिव

46/2018